



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1301]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2009/श्रावण 30, 1931

No. 1301]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2009/SRAVANA 30, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2009

का.आ. 2144(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के पैरा 3 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, चंडीगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. डॉ. वीर सिंह

संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षा (सेवानिवृत्त) जी-13,
पंजाब विश्वविद्यालय परिसर, सेक्टर 14, चंडीगढ़

—अध्यक्ष, पर्यावरण विधि

2. प्रो. एस. के. शर्मा,

पर्यावरणीय इंजीनियरी विभाग,
पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय, चंडीगढ़

—सदस्य, पर्यावरण क्वालिटी

3. निदेशक, पर्यावरण,

चंडीगढ़ प्रशासन

—सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित है।

4. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल्यांकन समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. प्रो० आर.के. कोहली,
समन्वयक- अध्यक्ष,
पर्यावरण और व्यावसायिक अध्ययन केन्द्र,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़-160014
अध्यक्ष, जीव विज्ञान, वानकी और
वन्य जीव
2. प्रो० एम.एस. जोहल,
प्राणी विज्ञान विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़-160014
अध्यक्ष, जीव विज्ञान
3. श्री विवेक पांडे,
वैज्ञानिक 'बी'
चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति
चंडीगढ़- 160047
सदस्य, पर्यावरण क्वालिटी
4. सुरिन्दर सिंह
प्रभागीय वन अधिकारी (सेवानिवृत्त)
मकान सं० 995, सेक्टर 41-ए,
चंडीगढ़ 160036
सदस्य, वानकी और वन्यजीव
5. डा० वी.के.रतन
रासायनिक इंजीनियरी विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़-160014
सदस्य, परियोजना प्रबंधन
6. प्रो० शक्ती अरोड़ा
पर्यावरण इंजीनियरी विभाग
पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय,
चंडीगढ़-160012
सदस्य, पर्यावरण समाघात
निर्धारण प्रक्रिया
7. श्री रजनीश वाट्टस
प्रधानाचार्य, चंडीगढ़ स्थापत्यकला
महाविद्यालय, सेक्टर 12,
चंडीगढ़ -160012 (भारत)
सदस्य, स्थापत्य कला

8. वैज्ञानिक 'एस.ई' सचिव
पर्यावरण विभाग
चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन,
अतिरिक्त टाउन हाल भवन,
दूसरा तल, सेक्टर 17,
चंडीगढ़
5. प्राधिकरण, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा।
6. प्राधिकरण, अपने सभी कानूनी कृत्यों की बाबत वित्तीय और युक्तियुक्त सहायता, जिसके अंतर्गत वाससुविधा, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा अधिवेशनों के लिए फीस भी हैं, प्रदान करेगा, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का संदाय चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
7. मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
8. मूल्यांकन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी, जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रगणित हैं।
9. मूल्यांकन समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेगा तथा यदि सर्वसम्मति नहीं हो पाती है तो बहुमत की राय अधिभावी होगी।
10. चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, अपने सभी कानूनी कृत्यों की बाबत वित्तीय और युक्तियुक्त सहायता, जिसके अंतर्गत वाससुविधा, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं तथा अधिवेशनों के लिए फीस भी हैं, प्रदान करेगा, मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का संदाय चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/21/2007-आईए, II (1)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक "जी"

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**ORDER**

New Delhi, the 21st August, 2009

S.O. 2144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with paragraph 3 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the Union territory Environment Impact Assessment Authority, Chandigarh (hereinafter referred to as the Authority comprising of following Chairperson and members, namely: -

1. Dr. Veer Singh
Dean of University
Instructions (Retd.)
G-13, Punjab University
Campus,
Sector-14, Chandigarh
Chairman, Environmental Law
2. Prof. S.K. Sharma,
Deptt. of Environmental
Engineering,
Punjab Engineering College,
Chandigarh
Member, Environment Quality
3. Director,
Environment,
Chandigarh Administration
Member –Secretary.

2. The Chairman and non-official member of the Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the notification of the Government in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006.

4. To assist the Authority, the Central Government, in consultation with the Union territory of Chandigarh Administration, hereby constitutes the Union territory Chandigarh Expert Appraisal Committee, (hereinafter referred to as Appraisal Committee) comprising of the following Chairperson and Members, namely:-

1. Prof. R.K. Kohli,
Coordinator- Head,
Centre for Environment and
Vocational Studies
Punjab University,
Chandigarh-160014
Chairman,
Life Science, Forestry and Wildlife
2. Prof. M.S. Johal
Dept. of Zoology,
Punjab University,
Chandigarh-160014
Member, Life Science
3. Shri. Vivek Pandey
Scientist 'B'
Chandigarh Pollution
Control Committee
Chandigarh- 160047
Member, Environment Quality
4. Sh. Surinder Singh
Divisional Forest Officer (Retd.,)
House No. 995, Sector 41-A,
Chandigarh- 160036
Member, Forestry & Wildlife
5. Dr. V.K. Rattan
Department of Chemical Engineering.
Punjab University,
Chandigarh- 16004
Member, Project Management
6. Prof. Shakti Arora
Department of Environmental
Engineering,
Punjab Engineering College,
Chandigarh-160012
Member,
Environment Impact Assessment
Process
7. Shri Rajnish Wattas
Principal, Chandigarh College of
Architecture, Sector 12,
Chandigarh -160 012(India)
Member, Architecture

